

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2018

No. 7/2018 – Central Tax

G.S.R.56(E).—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable by any registered person for failure to furnish the return in FORM GSTR-6 by the due date under section 47 of the said Act, which is in excess of an amount of twenty-five rupees for every day during which such failure continues.

[F. No.349/58/2017-GST(Pt.)]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2018

सं. 8 / 2018 – केन्द्रीय कर

सा.का.नि.57(अ).— आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1418 (अ) तारीख 15 नवंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 62/2017 के द्वारा तारीख 15 नवंबर, 2017 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिकांत करते हुए किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 के नियम 65 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (4) के अधीन प्रारूप जीएसटीआर-6 में जुलाई, 2017, फरवरी, 2018 मास के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा का 31 मार्च, 2018 का विस्तार करता है।

[फा.सं.349/58/2017-जीएसटी(पीटी.)]

डा. श्रीपार्वती एस.एल.,अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2018

No. 8/2018 – Central Tax

G.S.R.57(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) and in supersession of notification No. 62/2017-Central Tax, dated the 15th November, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1418(E), dated the 15th November, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Commissioner hereby extends the time limit for furnishing the return by an Input Service Distributor in FORM GSTR-6 under sub-section (4) of section 39 of the said Act read with rule 65 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, for the months of July, 2017 to February, 2018, till the 31st day of March, 2018.

[F. No.349/58/2017-GST(Pt.)]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2018

सं. 9/2018 – केन्द्रीय कर

सा.का.नि.58(अ).— केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 606 (अ) तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार,